



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 कार्तिक 1944 (श10)
(सं0 पटना 934) पटना, सोमवार, 7 नवम्बर, 2022

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि -पत्र

7 नवम्बर, 2022

एस० ओ० 411, दिनांक 7 नवम्बर, 2022—वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 192, दिनांक 29 सितम्बर, 2022, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 802, दिनांक 29 सितम्बर, 2022, द्वारा प्रकाशित किया गया था, मैं:-

- पृष्ठ 1 में, पंक्ति 10 में, "को" शब्द के स्थान पर "को 01 अक्टूबर 2022 से" शब्दों को पढ़ें।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14) 2978)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव,

बिहार, पटना।

7 नवम्बर, 2022

एस० ओ० 411, दिनांक 7 नवम्बर, 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14) 2978)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव,

बिहार, पटना।

Corrigendum**The 7th November, 2022**

S.O. 411, Date 7th November, 2022--In the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 192, dated the 29th September, 2022, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 802, dated the 29th September, 2022,:

- at page 2, in line 8, for the figure "2018", read "2018, with effect from the 1st day of October, 2022".

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14) 2978)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

**Commissioner State Tax-cum-Secretary,
Bihar, Patna.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 934-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आश्विन 1944 (श10)
(सं0 पटना 802) पटना, वृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

29 सितम्बर, 2022

एस० ओ० 192, दिनांक 29 सितम्बर, 2022—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 148 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 164, दिनांक 3 अप्रैल, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 295, दिनांक 3 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे विखण्डन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को विखण्डित करते हैं।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-14) 2674)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

29 सितम्बर, 2022

एस० ओ० 192, दिनांक 29 सितम्बर, 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14) 2674)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 29th September, 2022

S.O. 192, Date 29 September, 2022—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations on the Council, hereby rescinds the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 164, dated the 3rd April, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 295, dated the 3rd April, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14) 2674)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 802-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>